


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

मुकदमा नं.....

स. 79/19 श्री अजय कुमार शर्मा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
<p><u>24.9.19</u></p>	<p><u>वकुलनाथ उपरी उक्त पक्षकार</u> <u>अधिवक्ता श्री अजय कुमार शर्मा</u> <u>निवेद्याना 22 R.A. Act पर फिल हनी गयी</u> <u>दोनों अधिवक्ताओं द्वारा पूर्व के जारी</u> <u>अंतरिम अर्थात् निवेद्याना दिनांक 19.11.19</u> <u>पर कोई एतराज नहीं किया तथा वाकैफला</u> <u>वाद स. 79 सुलभ किया जाने का विवेदन</u> <u>किया है। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा</u> <u>no objection करने के साथ ही अदालत</u> <u>के रफ्तार इत इत पालासप द्वारा पूर्व</u> <u>के जारी स. 79 आदेश दिनांक 19.11.2009 को</u> <u>ता फिलवाद सुलभ किया जाना है।</u> <u>पश्चात्तम फिलवाद सुलभ देकर नम्बर 79</u> <u>पर देकर निलंबित कर दिया है।</u></p>	

आदेश अंजल दिनांक 24.09.2019
 जो स. 79 उपखण्ड अदालत अजय कुमार शर्मा


 (वकुलनाथ उपरी R.A.S.)
 उपखण्ड अधिकारी
 कुचामन सिटी (नागौर)

